

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1944/2025

डॉ. नन्दपाल बैरवा

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, पशुपालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. डॉ. त्रिलोक गोचर, पशुचिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, बुढादित, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 05.02.2025

आदेश की दिनांक : 06.03.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी, के पद पर पशु चिकित्सालय, अनन्तपुरा, कोटा में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पशु चिकित्सालय, बुढादीत, कोटा में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को संमजित के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित करने के आशय से किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के विपरीत है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण के दौरान यात्रा-भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को पशु चिकित्सा अधिकारी, के पद पर पशु चिकित्सालय, अनन्तपुरा, कोटा में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी पशु चिकित्सा अधिकारी, के पद पर पशु चिकित्सालय, अनन्तपुरा, कोटा में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025

(अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पशु चिकित्सालय, बुढ़ादीत, कोटा में प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने का प्रश्न है डॉ० अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438 का निर्णय उद्धृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या-3 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या-3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ० अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिया जावे।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य